फा. संख्या सी बी ई सी – **20/16/04/2018** – जी एस टी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
जी एस टी पॉलिसी विंग
****

नयी दिल्ली, दिनांक 23.04.2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)

प्रधान महा निदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय : कठिनाई निवारण आदेश (**RoD**) संख्या 05**/2019 -** केंद्रीय कर**,** दिनांक 23-04-2019 के अनुसार पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिए जाने हेतु आवेदन किए जाने की बावत स्पष्टीकरण :

FORM GSTR-3B या FORM GSTR-4 में रिटर्न न भरे जाने के कारण केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कई व्यक्तियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) किसी यथोचित अधिकारी को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह ऐसे पंजीकरण को भूतलक्षी प्रभाव से भी रद्द कर सकता है। अतः ये पंजीकरण या तो पंजीकरण के रद्दीकरण के आदेश की तारीख से या भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किए गये हैं।

2. अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिनका पंजीकरण रद्द कर दिये गए थे उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में यथा प्रदत्त 30 दिन की

अवधी के भीतर पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिए हेतु प्रतिवेदक नहीं दे सकें। तदनुसार, कठिनाई निवारण आदेश संख्या 05/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का पंजीकरण उनको उक्त अधिनियम की धारा 169 कि उप-धारा (1) के उप-वाक्य (क) और उप-वाक्य (घ) में दिये गए तरीके से नोटिस दिये जाने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत रद्द किया गया था, और जो उक्त नोटिस का जबाब नहीं दे सके थे और जिनका रद्दीकरन का आदेश 31 मार्च 2019 तक दे दिया गया था, उनको एक मौका दिया गया है कि वे अपने पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिए जाने के लिए 22 जुलाई 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 20/2019, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के द्वारा केंद्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के उप-नियम (1) में दो परंतुक और जोड़े गए हैं। इन परिवर्तनों के मद्देनजर और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस नियम के प्रवाधानों के लागू करने में एकरूपता बनी रहे, बोर्ड ने, उक्त अधिनियम की धारा 168(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये, एतदद्वारा, पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लेने हेतु आवेदन किए जाने की प्रक्रिया से संबन्धित मुद्दों को स्पष्ट करता है।

3. उक्त नियमावली के उपनियम (I) नियम 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंजीकृत व्यक्ति के रिटर्न न भरे जाने के कारण पंजीकरण रद्द हुआ है तो पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिए जाने के लिए कोई भी आवेदन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा रिटर्न भर नहीं दिया जाता है और ऐसे रिटर्न से संबन्धित राशि को जमा नहीं कर दिया जाता है। अतः, जहां पंजीकरण के रद्दीकरण के आदेश के लागू होने की तारीख से कोई पंजीकरण रद्द हुआ है, वहाँ रद्दी करण को वापस लिए जाने के लिए आवेदन करने के पहले- तक वे सभी रिटर्न भरे जाने जरूरी हैं जो जिनको ऐसे रद्दीकरण की तारीख तक

भरा जाना जरूरी था। इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार रद्दीकरण के आदेश की तारीख से लेकर ऐसे पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिये जाने की तारीख तक की अवधि में भरे जाने के लिए जरूरी सभी रिटर्न को रद्दीकरण को वापस लिए जाने के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करना जरूरी होगा।

4. जहां कोई पंजीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द हुआ है, वहाँ रद्दीकरण की तारीख के बाद से सामान्य पोर्टल पर रिटर्न को नहीं भरा जा सकता है। ऐसे मामलों में पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लेने के लिए आवेदन करना संभव नहीं था। अतः उक्त नियमावली के नियम 23 के उप-नियम (1) में एक तीसरा परंतुक जोड़ा गया जिससे कि पंजीकरण के ऐसे रद्दीकरण को वापस लेने के लिए आवेदन किया जा सके बशर्ते कि रद्दीकरण के आदेश के लागू होने की तारीख से लेकर ऐसे पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिये जाने की तारीख तक की अवधि से संबन्धित सभी रिटर्न को रद्दीकरण को वापस लिए जाने के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया जाय।

5 उक्त उपबंधों में और अधिक स्पष्टता के लिये अनुबंध में द्रष्टांत दे दिये गए हैं।

6. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु का प्रचार- प्रसार करने के लिये उपयुक्त व्यापारिक अधिसूचनाएं जारी कर दी जाएँ।

7. इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो बोर्ड को उससे अवगत कराया जाय।

(उपेंद्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)

अनुबन्ध

जब से रिटर्न नहीं भरा गया है	**पंजीकरण के रद्दीकरण के आदेश की तारीख**	**जब से पंजीकरण का रद्दीकरण लागू हुआ है**	**RoDके अनुसार पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिए जाने के लिए आवेदन दिये जाने की तारीख (जिसे 22 जुलाई, 2019 को या उसके पहले जमा किया जाना है)**	**रिटर्न जिसको पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लेने से संबन्धित आवेदन को दायर किए जाने के पहले भरा जाना है**	**पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लेने के आदेश की तारीख**	**पंजीकरण के रद्दीकरण के आदेश की तारीख और पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लिये जाने की तारीख के बीच की अवधि से संबन्धित रिटर्न को भरे जाने की तारीख (जिसे पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लेने के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर दायर किया जाना है)**	**रिटर्न जिसे पंजीकरण के रद्दीकरण को वापस लेने के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर दायर किया जाना है**
जुलाई, 18	01 मार्च , 19	01 मार्च , 19	30 मई , 19	**1 मार्च 19 तक देय रिटर्न** (i.e. जुलाई, 18 से जनवरी, 19तक)	01 जून, 19	01 जुलाई, 19	**Returns due till 01 June, 19** (i.e. February, 19 to April, 19)
जुलाई, 18	22 मार्च , 19	22 मार्च , 19	20 जून , 19	**22 मार्च , 19 तक देय रिटर्न** (i.e. जुलाई, 18 से फरवरी , 19तक)	22 जून,19	22 जुलाई, 19	**Returns due till 21 June, 19** (i.e. मार्च , 19 to May, 19)
जुलाई, 18	01 मार्च , 19	01 जुलाई, 18	30मई , 19	**लागू नहीं**	01 जून,19	01 जुलाई, 19	**Returns due till 01 June, 19** (i.e. जुलाई, 18 to April, 19)